

नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण व
निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 तक

भाग—एक

1 (क) प्रारम्भिक :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रमांक	नाम	अवधि
3	श्रीमती सुनिता देवी	1.4.11 से 31.03.13

सचिव :-

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री राजपाल भारद्वाज नायब तहसीलदार (कार्यकारी सचिव)	01.04.11 से 13.9.12
2	डा० संत राम शर्मा तहसीलदार (कार्यकारी सचिव)	5.10.12 से 31.3.13

(ख) नगर पंचायत सुन्नी के लेखाओं के अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2013 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	गम्भीर अनियमितता	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1.	दिनांक 31.3.2013 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	6 (1)	26.82
2.	गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना	8	35.77

3. सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गृहकर अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	8 (2)	22.76
4. दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	9	2.11
5. मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	10	1.08
6. Semi circular pipes की खरीद कर उसका उपयोग न करने के कारण अपव्यय	12 (3, 2)	2.77
7. बिना टेस्ट चैक करवाये निर्माण कार्यों का अनियमित भुगतान	12 (5)	13.70

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2013 तक का लेखा परीक्षण श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.7.2013 से 23.8.2013 तक किया। विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लेखाओं के लिए माह 5/11 व 3/13 तथा 10/11 व 03/13 का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाना या अधूरी सूचनाओं पर यदि कोई

अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए अंकेक्षण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत सुन्नी के लेखों अवधि 04/2011 से 03/2013 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹13200 बनता है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 1, दिनांक 20.8.13 द्वारा उक्त राशि का भुगतान रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा परीक्षक एवं निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत सुन्नी के लेखों अवधि 04/11 से 03/13 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था।

नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/विवरण तथा अंकेक्षण दल द्वारा चयनित मासों में रोकड़ बही में दर्शाए गए आंकड़ों की जाँच पर आधारित है।

अवधि	साधन	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तशेष
2011-12	अपने साधनों से	3426695-67	831039-00	4257334-67	185008-00	4072726-67
	अनुदानों से	2307135-00	3530313-00	5837448-00	2453504-00	3383944-00
	कुल योग	5733830-67	4361352-00	10095182-67	2638512-00	7456670-67
2011-12	अपने साधनों से	4072726-67	810200-00	4882926-67	453797-00	4429129-67
	अनुदानों से	3383944-00	3660830-00	7044774-00	4382948-00	2661826-00
	कुल योग	7456670-67	4471030-00	11927700-67	4836745-00	7090955-67
2012-13	अपने साधनों से	4072726-67	810200-00	4882926-67	453797-00	4429129-67
	अनुदानों से	3383944-00	3660830-00	7044774-00	4382948-00	2661826-00

कुल योग	7456670-67	4471030-00	11927700-67	4836745-00	7090955-67
----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

नगर पंचायत सुन्नी की वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.13 को अन्तशेष की राशि ₹7090955.67 थी। 31.03.13 तक नगर पंचायत के विभिन्न खातों में जमा राशियों का अन्तशेष निम्न प्रकार से था।

बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक सुन्नी	5731	129178.30
पंजाब नैशनल बैंक, सुन्नी	5244	4230078.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55130163605	17702.37
हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में सावधि योजना	917152	2000000.00
कुल योग		₹6376958.67

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही में तथा बैंक खातों के अन्तशेषों के अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण निम्न प्रकार से है:-

रोकड़ वही के अनुसार 31.3.13 को अन्तशेष 709095567
जमा:-

निम्नलिखित चैक जो भुगतान हेतु जारी किये परन्तु बैंक से 31.3.13 चैक भुगतान हेतु पारित नहीं हुये।

(CH issued but not presented for payment)

बैंक का नाम	चैक सं०	दिनांक	राशि
पंजाब नैशनल बैंक सुन्नी	268892	8.3.13	95280
—यथोपरि—	268894	30.3.13	64385
—यथोपरि—	268895	30.3.13	99207
—यथोपरि—	268896	30.3.13	58993
हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक सुन्नी	1501694	22.3.13	16691
—यथोपरि—	1501696	23.3.13	1415
			335971
			335971.00
			7426926.67

घटाव:-

(1) 31.3.13 तक रोकड़ वही में जमा की राशि को बैंक में जमा/क्रेडिट नहीं की गई।

रसीद सं०	दिनांक	राशि
5/79 से 11/79 व 7/81 से 19/81	31.3.13	4095

(2) 31.3.13 तक प्राप्त चैक को रोकड़ वही में जमा किया गया परन्तु बैंक द्वारा खातों में जमा क्रेडिट नहीं दर्शाया गया।

चैक सं०	दिनांक	रसीद सं०	राशि
743153	26.3.13	16/78	43288
			(-)47383
			7379543.67
पी०एन०बी० खाता संख्या 52441 से चैक संख्या 288893 दिनांक 30.3.13			
₹1000000/- का हस्तांतरण हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक खाता 5731 में			
किया परन्तु हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में इस राशि को जमा/क्रेडिट			
दिनांक 3.4.13 को किया			
			6379543.67
बैंक ने खाता संख्या 5731 दिनांक 12.1.12 को बैंक चार्जिज सीधे न०५० खाते			
से लिये परन्तु इसकी प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं ली गई।			
			(-) 70
			6379473.67

जमा:-

निम्नलिखित राशियाँ न०५० के खातों में सीधी जमा हुई परन्तु इसकी प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं की

खाता सं०	दिनांक	राशि
5732	18.5.11	6505
5732	7.9.11	100
		6605
		(+)6605
		6386077.67

बैंक में रोकड़ वही से ज्यादा राशि जमा करने पर जिसका विवरण निम्न है:-

रसीद सं०	दिनांक	राशि जो बनती थी	राशि जो बैंक में जमा की
----------	--------	-----------------	-------------------------

41/66 से 50/66	10.2.12	3550	3842
----------------	---------	------	------

अधिक जमा राशि (+) 292

6386370.67

नगर पंचायत ने चैक संख्या 268883 दिनांक 3.6.11 को सैल्सटैक्स का भुगतान किया और चैक द्वारा भी नगर पंचायत खाते से इतनी ही राशि की निकासी दर्शाई गई परन्तु नगर पंचायत ने रोकड़ वही में व्यय में इस राशि को नहीं दर्शाया

(-) 11432

6374938.67

बैंक ने खाते से कुलैक्शन चार्जिज किये परन्तु रोकड़ वही में इसकी प्रविष्टि नहीं दर्शायी जिसका विवरण निम्न है

बैंक का नाम	खाता सं०	दिनांक	राशि
हि०प्र० सहकारी बैंक	5731	18.5.12	195

(-) 195

6374743.67

31.3.13 के बाद खाते में मिलने वाले ब्याज की प्रविष्टि रोकड़ वही में 31.3.13 पहले से दर्शाया ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

बैंक का नाम	खाता सं०	दिनांक	राशि
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सुन्नी	01100050040	30.1.13	351
		5.7.13	8

359

6374384.67

कम राशि बैंक में जमा करने पर जोकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 की मिलान विवरणानुसार

(-) 941

6371895.67

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 की बैंक मिलान विवरणानुसार बैंक में जमा सीधी राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही में न करना

(+) 5479

6377374.67

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 की बैंक मिलान विवरणानुसार
बैंक में अधिक राशि का जमा न होना (–) 388

6376986.67

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 की बैंक मिलान विवरणानुसार
बैंक में राशि का जमा करना (+) 346

6374332.67

बैंक द्वारा निम्नलिखित चैक जारी राशि से अधिक भुगतान किया गया ब्यौरा
निम्न प्रकार से है:–

चैक सं०	दिनांक	जितनी राशि का जारी किया	जितने का बैंक द्वारा क्लीयर किया	अन्तर
---------	--------	-------------------------------	-------------------------------------	-------

1501659	1.1.13	1443	1498	55
1501693	8.3.13	68292	68295	3
				58

(–) 58

6374326.67

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2004–05 से 2007–08 तक के प्रतिवेदन में दी
बैंक मिलान विवरणानुसार (–) 1090

6373236.67

बैंक द्वारा अधिक राशि के चैक के भुगतान जोकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि
4/08 से 3/11 के बैंक मिलान विवरणानुसार (–) 500

6372736.67

बैंक द्वारा कम राशि का चैक क्लीयर करने पर जोकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/08 से 3/11 के अनुसार (+) 100

6372836.67

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2005–06 से 2007–08 के अनुसार (+) 2

6377334.67

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 के अनुसार बैंक खातों में अन्तर (–) 376

6376958.67

बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार दिनांक 31.3.13 को बैंक खातों में जमा राशि
₹6376958.67 थी।

अंकेक्षण के दौरान गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 के दौरान बैंक समाधान विवरणिका के कुछ एक मदों को ठीक एवं निपटारा करवाया गया था जिसका वितरण निम्न प्रकार से है:-

(1) खाता संख्या 6663 से चैक संख्या 409469/28.3.08 जो ₹180/- का भुगतान बैंक द्वारा अधिक किया गया दर्शाया गया था बैंक द्वारा इस राशि का क्रेडिट दिनांक 9.4.12 को खाता संख्या 6663 में कर दिया गया।

(2) इसी प्रकार खाता संख्या 6605 से जो चैक संख्या 5321389/01-08 को ₹24502 का जारी किया की राशि सही थी परन्तु रोकड़ वही में गलती से ₹24002 दर्शाया गया है उस राशि को रोकड़ वही में तदानुसार शुद्धिकरण किया जाये क्योंकि चैक द्वारा अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाई गई राशियों को रोकड़ वही में नहीं लिया गया था जो राशियाँ बैंक में कम जमा की गई और अंकेक्षण के दौरान जो राशियाँ जमा करवायी गई। इन को रोकड़ वही में दर्ज करके पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवायी जानी सुनिश्चित की जाये।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11 के दौरान बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार बैंक खातों में जो अन्तशेष तथा वास्तविक में बैंक खातों के अन्तशेष में जो ₹376/- का अन्तर था उसका समाधान आज तक नहीं किया गया जिसका समाधान शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। रोकड़ वही का मिलान नगर पंचायत द्वारा हर माह के अन्त में बैंक खातों के साथ नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप बैंक खातों के अन्तशेषों तथा रोकड़ वही के अन्तशेषों में आने वाले अन्तर का समाधान नहीं हो रहा है। अतः रोकड़ वही के हर माह के अन्त में आने वाले शेष का मिलान बैंक खातों के अन्तशेष का मिलान बैंक खातों के अन्तशेष से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में हर माह के अन्त में रोकड़ वही के शेष का मिलान बैंक खातों के शेषों के साथ करना सुनिश्चित किया जाये ताकि जो गत अंकेक्षण एवं वर्तमान अंकेक्षण में रोकड़ वही और बैंक खातों के मिलान पर त्रुटियाँ पायी गई उनका समाधान समय रहते किया जा सके।

5 सावधि योजना:-

अवधि 04/11 से 3/13 के दौरान ₹2000000/- हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, सुन्नी में सावधि योजना के अन्तर्गत निवेश किये गए थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

एफ0डी0आर0 सं0	बैंक का नाम	राशि	निवेश करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	ब्याज	परिपक्व राशि
917152	हि0प्र0 सहकारी बैंक सुन्नी	2000000	1.8.12	1.2.13	8.50%	2085349

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त एफ0डी0आर0 की परिपक्वता तिथि के पश्चात न तो राशि को पुनः अपने खातों में जमा किया और न ही इस एफ0डी0आर0 को सावधि योजना में पुनः निवेशित किया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि को परिपक्वता तिथि से पुनः सावधि निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि नगर पंचायत को ब्याज के रूप में कोई वित्तीय हानि न हो। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) सावधि योजना पर ₹554/- ब्याज के रूप में कम प्राप्त करना:-

निवेशित राशि पर परिपक्वता तिथि को 8.50% वार्षिक ब्याज दर पर परिपक्वता तिथि को ₹2085903/- प्राप्त होने थे जबकि बैंक द्वारा परिपक्वता पर केवल ₹2085349/- का भुगतान किया गया अर्थात् ₹554/- का ब्याज के रूप में कम राशि क्रेडिट की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

एफ0डी0आर0 सं0	बैंक का नाम	राशि	निवेश करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	अवधि	ब्याज	परिपक्वता राशि जो बनती है
917152	हि0प्र0सहकारी बैंक सुन्नी	2000000	1.8.12	1.2.13	6 महीने	8.50%	2085903.13

यह मामला बैंक से उठाया जाए व ब्याज के रूप में प्राप्त कम राशि ₹554/- बैंक से प्राप्त कर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान:-

अवधि 1.4.11 से 31.3.13 तक सरकार से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण परिशिष्ट "ग-1 से ग-3" में दिया गया है।

(1) अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान की राशियों में से ₹2681826/- का व्यय न करना:-

अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2681826/- अपव्ययित पड़ी थी जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ग) पर संलग्न है। अतः निर्धारित समय में व्यय न की गई अनुपयुक्त राशियों को या तो सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा सम्बन्धित संख्या से इन राशियों को निर्धारित समय अवधि के बाद व्यय करने हेतु नियमानुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

7 वर्ष 2011-12 व 2012-13 के दौरान आय की प्राप्ति व व्यय बजट प्रावधानों के अनुसार न करना:-

(क) नगर पंचायत ने स्वीकृत बजट के आधार पर न तो आय की वसूली की और न ही व्यय के लिए किए प्रावधानों के आधार पर खर्च किया जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" पर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए पारित बजट अनुसार ₹12176699.67 का आय प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2011-12 में केवल ₹4361352/- आय प्राप्ति की गई जोकि बजट प्रावधान के अनुसार केवल 35.82% ही था और वर्ष 2012-13 में पारित बजट अनुसार आय प्राप्ति का लक्ष्य ₹11810954.67 था जबकि वर्ष 2012-13 में केवल ₹4471030/- आय के प्राप्त की गई जोकि केवल पारित बजट का

37.85% ही था जिससे प्रतीत होता है कि आय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर पंचायत सुन्नी द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की। अतः वर्ष 2011-12 व 2012-13 में बजट प्रावधानों के अनुसार प्राप्ति न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) इसी प्रकार वर्ष 2011-12 व 2012-13 के पारित बजट में क्रमशः ₹7825140/- तथा ₹7847140/- व्यय का प्रावधान किया गया था जबकि नगर पंचायत ने अवधि 2011-12 में ₹2638512/- का खर्च किया जोकि पारित बजट का केवल 33.72% था तथा वर्ष 2012-13 में ₹4836745/- का व्यय किया जोकि पारित बजट का केवल 61.24% ही था उक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि नागरिकों को सुविधायें प्रदान करने हेतु जो लक्ष्य रखा था वे सुविधायें नागरिकों को उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहा क्योंकि बजट में दिए प्रावधानों तथा किए गए वास्तविक खर्च में बहुत अन्तर है। अतः नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में बजट प्रावधानों के आधार पर व्यय न करने बारे औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में बजट में किए प्रावधानों के आधार पर ही वास्तविक खर्च किया जाए ताकि नगर पंचायत सीमा के अन्दर सड़कों, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं लोगों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके।

8 गृहकर की बकाया ₹35.77 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 68 (2) के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत जितनी भी प्रोपर्टी है उन पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से गृहकर अधोरोपित करने का प्रावधान है। नगर पंचायत सुन्नी द्वारा अपनी सीमा में आने वाली दुकानों, स्टालों, मकानों आदि पर 7.50% वार्षिक दर से गृहकर अधोरोपित किया। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सुन्नी ने अवधि 31.3.13 तक गृहकर की वसूली ₹3577424/- बकाया थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल	प्राप्ति	अन्तशेष
2011-12	1823313	1207188	3030501	221418	2809083
2012-13	2809083	887005	3696088	118664	3577424

उपरोक्त विवरणिका अनुसार नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली बहुत धीमी गति से की जा रही है जिसके फलस्वरूप अवधि 31.3.13 तक ₹3577424.00 गृहकर की वसूली

हेतु बकाया है। नगर पंचायत ने वर्ष 2011-12 में गृह कर की मांग ₹1207188/- की थी और वसूली केवल ₹221418/- तथा वर्ष 2012-13 में गृहकर की मांग ₹887005/- और वसूली केवल ₹118664/- की जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली हेतु कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जबकि नियमों में प्रावधान के तहत गृहकर की वसूली as a land reviewed के तहत की जा सकती है। अतः गृहकर की वसूली के लिये ठोस कार्यवाही की जाये। ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सके व नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु इसे प्रयोग किया जा सके।

(2) सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गृहकर को अधोरोपित न करने के कारण नगर पंचायत को ₹22.76 लाख की वित्तीय हानि:-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की नोटीफिकेशन संख्या यू0डी0 एच (सी) 10/7-98-11 दिनांक 17.11.03 के द्वारा हिमाचल प्रदेश की सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए थे कि वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक हरवर्ष गृहकर की बढ़ोतरी करके गृहकर की वसूली 12.50% की दर की जाये ताकि वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को पूरी तरह विकास कार्यों में उपयोग किया जा सके जबकि नगर पंचायत सुन्नी द्वारा गृहकर अवधि 2012-13 तक 7.50% की दर से ही अधोरोपित किया है जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को वर्ष 2008-09 से 31.3.13 ₹22.76 लाख का वित्तीय हानि हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। "उक्त मामला गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार-2 उठाया जाता रहा परन्तु नगर पंचायत ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुये 7.5% की दर से ही गृहकर को अधोरोपित किया जा रहा है। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गृहकर निर्धारित दरों पर वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	गृह की मांग जितनी बनती थी	गृह की जितनी मांग की गई	अन्तर
2008-09	705395	423237	282138
2009-10	777452	466471	310981
2010-11	715725	429435	286290
2011-12	2011980	1207188	804792

2012-13	1478342	887005	591337
	5688894	3413336	2275558

(3) अवधि 1.4.2011 से 31.3.2011 के भीतर बनाये गए भवनों के गृहकर का निर्धारण न करना:—

अवधि 1.4.11 से 31.3.13 तक में नव निर्मित भवनों के लिए पंचायत द्वारा निम्नलिखित ब्यौरा अनुसार बिजली तथा पानी के कुनैक्शन के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये थे परन्तु उन भवनों का गृह कर निर्धारण नहीं किया गया। अतः अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

अवधि	पानी के कुनैक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	बिजली के कुनैक्शन/मीटरों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
2011-12	19	79
2012-13	20	38

9 (1) 31.03.13 तक दुकानों का किराया राशि ₹2.11 लाख की वसूली न करना:—

दुकानों के किराये के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.13 तक नगर पंचायत में दुकानों के किराये के रूप में ₹211084/- वसूली हेतु बकाया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल	वसूली	अन्तशेष
2011-12	183222	182085	365307	155352	209955
2012-13	209955	125376	335331	124247	211084

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये की वसूली हेतु गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप किराये की बकाया राशि में हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है अभिलेखों की जांच से यह भी पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किरायेदारों से किराये की वसूली हेतु कोई भी नियमानुसार नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही किरायेदारों के साथ निम्नानुसार एग्रीमैन्ट किया गया बिना एग्रीमैन्ट किए दुकानों को किराये पर देने तथा किराये की वसूली हेतु किरायेदारों को नोटिस न जारी

करने बारे औचित्य स्पष्ट करें। किराये की वसूली हेतु किरायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें ताकि किराये की अधिक से अधिक वसूली हो सके और नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। बकाया राशि ₹211084/- का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

**Detail of outstanding Arrears of Rent of Stalls/Shops in Respect of Nagar Panchayat
Sunni as on 31-3-2013**

Sr. No.	Name of Shopkeeper	Rent per Month	Outstanding upto 31-3- 2013	Remarks
1	Brahma Nand Sharma, Shop No. 1	963	0	
2	Ganesh Kanwar, Shop No. 2	375	3375	
3	Rajender Kumar, Shop No. 3 & 4	963	10501	
4	Bhagat Ram, Shop No. 5	292	54	
5	Baldev Raj, Shop No. 6	440	3960	
6	M/S R.L. S.S. wine Shop & Company	3328	19024	
7	Pardeep Kumar, Shop No. 9	220	0	
8	Jagdish Kumar, Shop No.10	330	990	
9	Chuni Lal Kumar, Shop No. 12	220	10280	Shop left on 3/12
10	Pradash Chand, Shop No. 14	110	1320	
11	Nand Lal. Shop No. 15	220	10960	
12	Sunil Kumar, Shop No. 16	165	10570	
13	Basant Lal	2700	102600	
14	Brijender Singh		25650	
15	Narender Kumar		11800	
16	SJVNL		0	
	Total		211084	

(2) नगर पंचायत के किराये से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि कई किरायेदारों से काफी लम्बी अवधि से किराया वसूली हेतु शेष है लेकिन बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती। जैसे सर्व श्री बसंत लाल, ब्रिजेन्द्र सिंह, मै0 आर, एल0,एस0एस0वाईज शॉप, नरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, चुनी लाल

वर्मा, नन्द लाल तथा श्री सुनील कुमार से क्रमशः ₹102600/- ₹25650/- ₹19024/- ₹11800/- ₹10501/- ₹10280/- ₹10960/- तथा ₹10570/- की राशि बनती है (कुल योग ₹201385/-) है। 31.3.13 तक बकाया में थी जिसका विवरण निम्न द्वारा न तो इन दुकानदारों के किराये की वसूली हेतु कोई नोटिस जारी किये और न ही दुकानदारों से कोई एग्रीमेंट किया जिसके अन्तर्गत किरायेदारों के विरुद्ध किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा सकती। अतः उक्त दुकानदारों के किराये की बकाया वसूली हेतु कार्यवाही न करने बारे औचित्य स्पष्ट करें तथा किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही की जाये।

10 मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹1.08 लाख वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार Information & Technology Deptt. के पत्र संख्या: DIT-Dev-(IT) 2005(MISC), Dated 22-08-2006 के Annexure “A” के पैरा-2 “fee structure” के अनुसार शहरी/एस0ए0डी0ए0 क्षेत्र में हर मोबाईल कम्पनी से ₹10,000 स्थापना तथा ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्रति टावर (पहले पांच वर्ष) तथा उसके पश्चात नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी करके राशि ₹6250/- के हिसाब से वसूली की जानी अपेक्षित थी। नगर पंचायत क्षेत्र में बी0एस0एन0एल0 तथा रिलाईंस कम्पनी के टावर स्थापित हैं जबकि नगर पंचायत द्वारा इन कम्पनियों से न तो अभी तक स्थापना शुल्क लिया और न ही नवीनीकरण शुल्क प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप अवधि 31.03.13 तक नगर पंचायत को ₹107500 का वित्तीय नुकसान हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

Statement of Installation and renewal charges outstanding up to 31-3-2013										
Sr. No	Name of the Company	No. of tower established	Date of reevtion of tower	Inrtallation charges	Rate of Renewal Charges	Period from which the renewal charges due	Total renewal carges due	Total demand	Amount recevied	Amount due
1	BSNL	One	11/2005	10000/-	5000	11/2005 to 31/12/09	25000	35000		
					6250	1/1/10 to 31/12/12	18750	18750	0	53750
					Total			53750		

2	Reliance	One	08/2006	10000	5000	8/06 to 7/10	25000	35000		
					6250	8/10 to 7/13	18750	18750		
								53750	0	53750
										107500

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अर्न्तगत मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए ₹107500 की वसूली हेतु मामला मोबाईल कम्पनियों से गम्भीरता से उठाया जाए और ₹107500 की वसूली करके पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

11 संस्थापना पर वर्ष 2011-12 में ₹0.21 लाख अधिक व्यय करना:-

Article 53 (1) (C) of HPMC Act, 1994 के अनुसार संस्थापना पर खर्च कुल व्यय का एक तिहाई भाग से अधिक नहीं व्यय किया जाना प्रस्तावित था। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 2011-12 में नगर पंचायत सुन्नी के संस्थापना पर निर्धारित राशि से ₹21017/- का अधिक व्यय किया जिसका विवरण निम्न है।

वर्ष	कुल वार्षिक व्यय	1/3 के अनुसार जितना खर्च संस्थापना पर किया जाना था	जितना व्यय संस्थापना पर किया	अधिक व्यय
2011-12	2638512	879504	90021	21017

अतः स्थापना पर 1/3 निर्धारित सीमा से अधिक व्यय ₹21017/- करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में स्थापना पर व्यय कुल वार्षिक व्यय से 1/3 से अधिक न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Statement of Excess over 1/3rd expenditure on Salary from the Total expenditure

Year	Total Exp.	Requires 1/3 rd Exp/ on Estt.	Actual Exp. On Estt.	Excess Exp.
2011-12	2638512	879504	900521	21017
2012-13	4836745	1612248	1402555	(-) 209693
Total	7475257	2491752	2303076	188676

12 व्यय:—

(1) बिना औपचारिकता पूर्ण किए ₹5000/- का भुगतान:—

वाऊचर संख्या 327 माह 3/13 ₹5000/- का भुगतान नगर पंचायत द्वारा मैसर्ज RSMIT, Main Bazar Sunni को SJSRY से कुमारी सुनीता को एक वर्ष की कम्प्यूटर ट्रेनिंग करवाने हेतु उक्त भुगतान नगर पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर किया गया। उक्त कम्पनी से सम्बन्धित जो अनुबन्ध/एग्रीमैन्ट अभिलेख के साथ संलग्न था वे अधूरे थे जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उक्त कम्पनी को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिये अधीकृत किया है। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं किया गया जिससे यह पुष्टि की जा सके कि कुमारी सुनीता IRDP से सम्बन्धित रखती हैं अतः बिना औपचारिकताएं पूर्ण किये ₹5000/- के भुगतान के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये और अनिवार्य प्रपत्र पत्र अब प्राप्त करके आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) ₹2000/- का अनियमित व्यय

वाऊचर संख्या 136 माह 10/11 ₹2000 का भुगतान हिमाचल प्रकाशन लि० को उनके बिल संख्या 118521 दिनांक 6.10.11 नगर पंचायत उपलब्धियों से सम्बन्धित विज्ञापन को प्रकाशित करने हेतु किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के विज्ञापनों पर पाबंदी लगा रखी है। अतः विज्ञापन पर अनियमित तौर से ₹2000/- के व्यय करने के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए अतः उपरोक्त अनियमित विज्ञापन पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(3) स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव उचित प्रकार से न करना:—

वाऊचर संख्या 328 माह 3/13 ₹276885/- का भुगतान मैसर्ज G.D. pipes, chetru Distt. Kangra dks 13th finance commission के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से R.C.C. pipes semi circular 600mm dia, 400mm dia, 250mm dia की खरीद निम्नलिखित बिलों के तहत की गई।

बिल सं०	दिनांक	राशि
268	1.3.13	98679

235	10.2.13	94962
227	21.1.13	83244
276885		

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न साईज की RCC pipes circular की खरीद की गई थी जिनकी प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में एक ही पृष्ठ में कर दी गई जबकि इसकी प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में पृथक-2 पृष्ठ में की जानी अपेक्षित थी। एक ही पृष्ठ पर विभिन्न-2 साईज की Semi circular pipes की प्रविष्टि करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और Semi Circular pipes की प्रविष्टियाँ dia अनुसार अलग-2 पृष्ठ पर करना सुनिश्चित की जाये ताकि एक नजर यह पता लगाया जा सके की किस डायामीटर की पाईप स्टॉक में कितनी मात्रा में उपलब्ध है।

(2) Semi Circular pipes की खरीद कर उसकी खप्त न करने के फलस्वरूप ₹276885/- का अपव्यय:-

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत इतनी अधिक मात्रा में RCC Circular pipes को खरीद करने के पश्चात इसको स्टोर में बिना उपयोग के रखा गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन पाईपों की खरीद की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट करे व स्टॉक में अनुपयोग पड़ी पाईपों का शीघ्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त कार्य से सम्बन्धित स्वीकृत अनुमान पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) कार्य का नाम:- R/M of M.C. Toilet block in E.No. 5

एजेंसी का नाम:- विभागीय तौर पर (W.R. No. 228)

माप पुस्तिका संख्या शून्य पृष्ठ संख्या 34

वाऊचर संख्या 124 माह 10/11 ₹12896

नगर पंचायत द्वारा उक्त कार्य विभागीय तौर पर करवाया उक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया दर्शाया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राशि
1	Urine pot 3No. x475	1425
2	Wash basin with pedestal 1No.x2310	2310
3	P.O.P 5Kg x12	60
4	Soap dish 10Kg.x35	65
5	Snow 1No.x2310	350
6	G.I. pipe 15mm 2No.x530	1060
7	Elbow 15mm 12No.x25	300
8	Tea 15mm 5No.x35	175
9	Union 15mm 5No.x65	325
10	Nipple 4/8x6/5 13No.x28	364
11	Ball Value 3No.x285	855
12	Ball Cock 2No.x325	650
13	Socket 15 mm 6No.x20	120
14	Hook 1 Kgx100	100
15	PVC pipe 40mm1L 2x275	550
16	Elbow 40mmPVC 6x40	240
17	PVC 40mm socket 4x25	100
18	Augkc cock 4x685	2740
19	Piller cock 1.x695	695
20	Connection pipe 4x125	500
21	Waste pipe 4x45	180
22	C.P. waste 1x105	105
23	Thread 10x2	20
24	Oil band distemper 5 Kgx65	325
25	Sfeda 2x20	40
26	Brush 4L 2x190	380
27	Paint 2.x215	430
	कुल योग	14464

परन्तु इसे सामग्री की रिकार्ड एन्ट्री माप पुस्तिका में नहीं करके इस सामग्री का सीधा उपयोग किया गया दर्शाया गया। उक्त सामग्री की खपत से सम्बन्धित रिकार्ड एन्ट्री माप पुस्तिका से सम्बन्धित रिकार्ड एन्ट्री माप पुस्तिका न करने के फलस्वरूप यह पुष्टि नहीं किया जा सकी कि वास्तविक में उक्त सामग्री टायलट ब्लॉक के निर्माण पर खपत की गई है। अतः इस बारे नगर पंचायत पूर्ण छानबीन अपने स्तर पर करते हुये इस सामग्री के उपयोग से सम्बन्धित रिकार्ड एन्ट्री नियमानुसार माप पुस्तिका में करवाकर आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा इस सामग्री में हुये व्यय ₹14464/- की वसूली उचित स्रोत से वसूल करके कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) बिना टैस्ट चैक करवाये निर्माण कार्यों ₹1370502/- का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान जितने भी निर्माण मुरम्मत कार्य पंचायत सीमा के अन्दर करवाये उनका भुगतान ठेकेदारों/संविदाकारों को बिना सक्षम अधिकारी से मदों का टैस्ट चैक करवाये किया गया जबकि नियमानुसार निर्माण कार्यों के भुगतान से पूर्व माप पुस्तिका में मदों की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा टैस्ट चैक करवाया जाना अपेक्षित था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि निर्माण स्थल पर नियमानुसार अनुमान पत्र के आधार पर मदों को निष्पादन किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से बिना सक्षम अधिकारी के टैस्ट किए ₹1370502/- के निर्माण कार्यों का भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों का भुगतान निष्पादित मदों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी से टैस्ट चैक करवाकर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Detail of works excuted w.e.f 1.4.2011 to 31.3.13

Sr. No.	Name of work	Aworded Amount	Expenditure	MB No./Pag No.
1	Removal of pips in Nagar Panchayat area at Sunni	67801	48759	12/3
2	Restoration of path leading in shallu locality in W.No. 1	96841	95296	12/7
3	Construction of Sh. Shoo Park in W.No. 5 at Sunni	127468	128588	12/12
4	Corstration of path from the house of Sh. Sohan Lal to house of Sh. Mahavir in W.No. 1 at Sunni	199930	199789	12/15
5	Restoration of path from Primary school to Rehan boxes in W.No. 4 at Sunni Phese-I	67605	61796	12/17

6	Restoration of path from sanjay Photo studia to house of Sh. Bhagat Ram in W.No. 7 at Sunni	57036	56756	12/19
7	Restoration street from Primary School towards Rehan Basers in W.No. 5 at Sunni Phase-II	130688	127801	12/21
8	Restoration of path leading to shall locality Ph-II	30605	24578	12/24
9	Construction of road from Tehsil office towards Nendan village in W.No. 1 at Sunni	82110	82027	12/26
10	Removal of pips in W. Pares at Sunni	75204	69045	12/28
11	Construction of path from the house of Sh. Mohan Lal in house of Sh. Tej Ram Pal in W.No. 7 at Sunni	68248	66394	12/36
12	Construction of path from the house of Sh. lalli to house of Sh. Tej Rampal in w.No. 7	59096	59298	12/32
13	Repair of reoad in N.P.area at Sunni	44921	44361	12/34
14	Construction of Shishoo Park in W.No. 5 at Sunni Ph.II	48983	45396	12/37
15	Restoration of path retaining wall in Shellu locality in Ward No. 1 at Sunni	122830	98403	12/42
16	Construction of retaining eall in path in shallu locality in W.No.1	108600	107550	12/45
17	C/O tetaining eall in path to shellu in W.No. 1at Sunni	117400	44654	12/47
18	C/O benches near wrestling lourt in Hanuman Temple complex in W.No. 7 at Sunni	95180	100111	12/51

1370502

(7) कार्य का नाम:— C/O CC Path inward No. 2 from Mehender Gupta shop main road towards remesh gupta

एजैन्सी का नाम:— विभागीय तौर पर

वाऊचर संख्या 137 माह 10/11 ₹39594

उक्त निर्माण कार्य नगर पंचायत द्वारा विभागीय तौर पर मस्ट्रोल पर करवाया गया उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियों पाई गई

- 1 उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका, जिसका अंक नहीं लिखा गया था, के पृष्ठ 35 से 37 पर की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि निष्पादित मद P/L Stone soling properly hand packed fitting with instrctuion with spells etc. में गलत/अधिक दर लगाने से अधिक Progress दिखाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

मद में जितनी दर जो दिये आईटम encuted की	दर जो दिये जाने अधिक दर थे
34.09 m2	120-75
	71.80
	48.95
अधिक Progress	34.09m2x48.95
	1668.70
	Sys
	1609

अतः गलत/अधिक दर लगाने के फलस्वरूप ₹1669.00 को प्रोग्रेस अधिक दिखाई गई है। इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹1669.00 की वसूली उचित स्रोत से वसूल करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

- 2 उक्त कार्य से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमान पत्र को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि स्थल पर कार्य स्वीकृत अनुमान पत्र के अनुसार ही निष्पादित किया गया आवश्यक अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

8 डस्टबिन की प्रविष्टि को सम्पत्ति रजिस्टर में न करना:—

नगर पंचायत द्वारा 7 नं0 डस्टबिन की खरीद मै0 देस राज बैल्डिंग वर्क्स, जुब्बल जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से बिल संख्या 167 दिनांक 30.9.11 के तहत की गई। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त खरीद किये डस्टबिन की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर 6 पृष्ठ 45 पर की गई जबकि इसकी प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी तथा जिस-2 स्थान पर ये डस्टबिन स्थापित किये हैं उसको भी सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इससे सम्बन्धित कोई भी ब्यौरा सम्पत्ति रजिस्टर में अंकित नहीं किया। अतः सम्पत्ति रजिस्टर में डस्टबिन की

प्रविष्टि न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस बिलों की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में नियमानुसार करना सुनिश्चित की जाये।

13 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

14 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पड़े आडिट पैरों व निपटारे हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(v)91/81-खण्ड-V-562-563, दिनांक 21.01.2014
शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

(1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002

पंजीकृत :- (2) सचिव, नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर, प्रतिवेदन जारी हाने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 06/84 से 03/90

क्रम संख्या	पैरा संख्या	स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 4(ख) से (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5 (1 व 2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 8(क से ग तथा घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(1)(क से ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9(2)(क से च)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9(2)(ज)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(3)(ख,ग,घ,ङ,च,छ तथा ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(4)(क व ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(5) (क,ख,ग,घ,ङ,च,छ तथा ज)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10(2)(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा 10(2)(घ)	आंशिक निर्णीत	
15	पैरा 12	अनिर्णीत	
16	पैरा 13(क व ख)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/95

क्रम संख्या	पैरा संख्या	स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(क तथा ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(क तथा ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	अनिर्णीत	
9	पैरा 12(क,ख तथा ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 13(i)	अनिर्णीत	
11	पैरा 13(ii)(1,2,3 तथा 4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 13(iv, v, vi, ix, xi तथा xii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14(i)(क व ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14(i)(ग व घ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14(ii)(क,ख,ग तथा घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 16	अनिर्णीत	
18	पैरा 17	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/2000

क्रम संख्या	पैरा संख्या	स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(क)(1,2,3,4,5)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ,च,छ,ज तथा झ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(ट,ठ,ड,ढ़)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7(1)(ए)(क तथा ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 7(2)(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
11	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 7(5)(1)(ii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 8(1)(1)(ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
14	पैरा 8(1)(vi, vii तथा viii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 8(2)(1)(ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8(2)(v, vi, vii, viii व ix)	अनिर्णीत	
17	पैरा 8(3)(1,2,3)	अनिर्णीत	
18	पैरा 8(3)(5, 6 तथा 7)	अनिर्णीत	

19	પૈરા 8(4)(1, 3, 4 તથા 5)	અનિર્ણીત
20	પૈરા 8(5)(I, ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix)	અનિર્ણીત
21	પૈરા 8(6)(I, ii, iv, v તથા vi)	અનિર્ણીત
22	પૈરા 8(7)(i, ii, iv તથા v)	અનિર્ણીત
23	પૈરા 8(8)(1,2,3 તથા 5)	અનિર્ણીત
24	પૈરા 8(9)(i, iii, iv તથા v)	અનિર્ણીત
25	પૈરા 8(10)(i, iii, iv તથા v)	અનિર્ણીત
26	પૈરા 8(11)(i, ii, iii, iv તથા vi)	અનિર્ણીત
27	પૈરા 8(12)(i, ii, iv તથા v)	અનિર્ણીત
28	પૈરા 8(13)(i, ii, iii તથા iv)	અનિર્ણીત
29	પૈરા 8(14)(i, ii, iii, v, vi તથા vii)	અનિર્ણીત
30	પૈરા 8(15)(i, ii, iv તથા v)	અનિર્ણીત
31	પૈરા 8(16)(i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv)	અનિર્ણીત
32	પૈરા 8(17)(i, સે vii)	અનિર્ણીત
33	પૈરા 8(18)(i, સે vi)	અનિર્ણીત
34	પૈરા 8(19)(i, સે vi)	અનિર્ણીત
35	પૈરા 8(20)(i, સે ix)	અનિર્ણીત
36	પૈરા 8(21)(i, સે x)	અનિર્ણીત
37	પૈરા 8(22)(i, સે x)	અનિર્ણીત
38	પૈરા 8(23)(i, સે v)	અનિર્ણીત
39	પૈરા 8(24)(i, સે iv)	અનિર્ણીત
40	પૈરા 8(24)(i, સે v)	અનિર્ણીત
41	પૈરા 8(25)	અનિર્ણીત

42	पैरा 9(क,ख)	अनिर्णीत
43	पैरा 10(क)(1)	आंशिक निर्णीत
44	पैरा 10(ग)(ii)	अनिर्णीत
45	पैरा 11(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत
46	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
47	पैरा 13(क,ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 14(क,ख)	अनिर्णीत
49	पैरा 15	अनिर्णीत
50	पैरा 16(क,ख,ग)(i,ii, iii, iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(1,2,3,4)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(i, iv, v)	अनिर्णीत
53	पैरा 19	अनिर्णीत
54	पैरा 20	अनिर्णीत
55	पैरा 21	अनिर्णीत
56	पैरा 22	अनिर्णीत
57	पैरा 23(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)	अनिर्णीत
58	पैरा 23(12,13,14,15,16,17,18)	अनिर्णीत
59	पैरा 23(20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2005

1	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(1)	अनिर्णीत

3	पैरा 6(3,4,5)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(7)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(1,2,3,4)	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2,3,4)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(ड) (1,2,3,4,5,6)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(ड) (5)	निर्णीत (दिए गए उत्तर के आधार पर)
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 16	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18(1 व 2)	अनिर्णीत
15	पैरा 19(3 तथा 4)	अनिर्णीत
16	पैरा 20(2)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 20(3)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
16	पैरा 20(4)(क,ख)	अनिर्णीत
17	पैरा 21(1 व 2)	अनिर्णीत
18	पैरा 22(1,2,3)	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24	अनिर्णीत
21	पैरा 25(क)(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 25(ख)(1,2,3,4,5,6)	अनिर्णीत
23	पैरा 25(ग)(1,2)	अनिर्णीत

24	पैरा 25(घ)(1,2,3,4,5)	अनिर्णीत
25	पैरा 26(1)(क,ख,ग,घ,ङ,च)	अनिर्णीत
26	पैरा 26(1)(छ)(1,2,3)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन अवधि 04 / 2005 से 03 / 2008

1	पैरा 2(ब)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(च)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(ज)(1,2)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(ज)(4)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(ण)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ण)(2,3)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(ख)	निर्णीत (न0प0 द्वारा उत्तर के आधार पर)
16	पैरा 6(ग)	निर्णीत (—यथोपरि—)
17	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
18	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत

19	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(ख)	निर्णीत (न0प0 दिये उत्तर के आधार पर)
21	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/08 से 3/11

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 252179 दिनांक 18.4.12 द्वारा राशि संख्या 14400 जमा की जा चुकी है।)
2	पैरा-4.1	निर्णीत	(राशि ₹180/- की प्रविष्टि खाता संख्या 6663 दिनांक 9.4.12 की पुष्टि उपरान्त तथा राशि संख्या 500 की कम खर्च की पुष्टि रोकड़ वही दिनांक करने उपरान्त)
3	पैरा-4.2	निर्णीत	राशि ₹691/- को खाता सं0 5731 दिनांक 3.4.03 को जमा करने की पुष्टि उपरान्त
4	पैरा-4.3	निर्णीत	रोकड़ वही में पुष्टि उपरान्त
5	पैरा-4.4	निर्णीत	
6	पैरा-5.1	निर्णीत	(न0प0 द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
7	पैरा-5.2	अनिर्णीत	
8	पैरा-5.3	निर्णीत	(न0प0 द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
9	पैरा-6	निर्णीत	
10	पैरा-7	निर्णीत	(गृहकर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाकर)
11	पैरा-7.1	अनिर्णीत	
12	पैरा-7.2	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में देने पर)
13	पैरा-7.3	अनिर्णीत	
14	पैरा-8	अनिर्णीत	
15	पैरा-9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में देने पर)
16	पैरा-9.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में देने पर)
17	पैरा-10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में देने पर)

18	पैरा-11	अनिर्णीत	
19	पैरा-12	अनिर्णीत	
20	पैरा-13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में देने पर)
21	पैरा-14	निर्णीत	(न0प0 द्वारा दिये उत्तर/स्पष्टीकरण के आधार पर)
22	पैरा-15	अनिर्णीत	
23	पैरा-15 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा-15 (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा-15 (3)	अनिर्णीत	
26	पैरा-16	अनिर्णीत	
27	पैरा-16 (1)	अनिर्णीत	
28	पैरा-16 (2)	अनिर्णीत	
29	पैरा-16 (3)	निर्णीत	
30	पैरा-16 (4)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
31	पैरा-17	अनिर्णीत	(-यथोंपरि-)
32	पैरा-18	अनिर्णीत	
33	पैरा-19	निर्णीत	
34	पैरा-20	निर्णीत	